

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ख/2022/डी-1887

दिनांक 07/07/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार विजय आशीष स्ट्रील्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय एफ-7, गोविन्दम काम्पलेक्स, संसारचन्द रोड, जयपुर जरिये निदेशक श्री नटवर लाल शारदा द्वारा ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. में रिसोर्ट हेतु जारी 90ख को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ख के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.6.2010 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी(एल.पी.) की 297वी बैटक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख. नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. रिसोर्ट प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/7/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 2 विजय आशीष स्ट्रील्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय एफ-7, गोविन्दम काम्पलेक्स, संसारचन्द रोड, जयपुर जरिये निदेशक श्री नटवर लाल शारदा को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ख /2022/डी-1888

दिनांक 07/7/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार आयुष लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. 25 कि.मी. एन.एच.-8, ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर जारिये निदेशक श्री संजय बाहेती द्वारा ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. में रिसोर्ट हेतु जारी 90ख को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.6.2010 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी.(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. रिसोर्ट प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/7/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावे।
- 2 आयुष लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. 25 कि.मी. एन.एच.-8, ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर जारिये निदेशक श्री संजय बाहेती को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ख/2022/डी-1887

दिनांक 07/07/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार विजय आशीष स्ट्रील्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय एफ-7, गोविन्दम काम्पलेक्स, संसारचन्द रोड, जयपुर जरिये निदेशक श्री नटवर लाल शारदा द्वारा ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. में रिसोर्ट हेतु जारी 90ख को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ख के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.6.2010 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी(एल.पी.) की 297वीं बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1739 रकबा 0.24 हैक्ट. ख.नं. 1740/1 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1746/1 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 1747/1 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 1748 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 1749 रकबा 0.30 हैक्ट. किता 7 रकबा 1.41 हैक्ट. रिसोर्ट प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/7/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 2 विजय आशीष स्ट्रील्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय एफ-7, गोविन्दम काम्पलेक्स, संसारचन्द रोड, जयपुर जरिये निदेशक श्री नटवर लाल शारदा को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ख /2022/डी-1888

दिनांक 07/7/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार आयुष लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. 25 कि.मी. एन.एच.-8, ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर जारिये निदेशक श्री संजय बाहेती द्वारा ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. में रिसोर्ट हेतु जारी 90ख को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.6.2010 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी.सी.(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1736 रकबा 0.29 हैक्ट. ख.नं. 1737 रकबा 0.51 हैक्ट. ख.नं. 1740 रकबा 0.37 हैक्ट. ख.नं. 1741 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 1746 रकबा 0.10 हैक्ट. ख.नं. 1747 रकबा 0.26 हैक्ट. ख.नं. 2237 रकबा 0.91 हैक्ट. किता 7 रकबा 2.48 हैक्ट. रिसोर्ट प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/7/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावे।
- 2 आयुष लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. 25 कि.मी. एन.एच.-8, ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील सांगानेर जयपुर जारिये निदेशक श्री संजय बाहेती को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1373

दिनांक 6/7/22

प्रस्तावित उपान्तरण

जविप्रा, जोन-7 क्षेत्र में स्थित तोपखानादेश गृ.नि.स.स. की योजना नेमी सागर के भूखण्ड संख्या 325 क्षेत्रफल 500.00 वर्गगज का प्रार्थी श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा द्वारा भू उपयोग उपान्तरण आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूखण्ड के पूर्व की ओर- रोड 100 फीट, पश्चिम की ओर - भूखण्ड संख्या 337, उत्तर की ओर- भूखण्ड संख्या 323 तथा दक्षिण की ओर- भूखण्ड संख्या 326 फीट स्थित है।

दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका अथवा दैनिक भास्कर एवं एक अन्य राज्य स्तरीय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की समयावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

Sd.
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

Sd.
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-1379

दिनांक 7/7/2022

लोक सूचना

अद्योहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी राहगति/अराहगति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **निजी खातेदारी** की योजना **राकेशपुरी रांकडी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तांतरियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्दधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यो नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
प्रेमपुरा तहसील जयपुर	183	1.2646	गोपी पुत्र चन्दा हिस्सा पूर्ण जाति मेहरा सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sel.
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।

Sel.
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13

[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या 16/2022

D-1377

दिनांक 7/7/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण बुनियादी गृहनिर्माण समिति की योजना गोकुल विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम तहसील	मय	हाल नम्बर	खसरा	रकबा (हेक्टेयर)	90 क किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम मीनावाला उर्फ लावास		1		1.1508	सम्पूर्ण हिस्सा	7 बीघा 10 बीस्वा
तहसील जयपुर		2		0.7461	सम्पूर्ण हिस्सा	
		3		0.4932		10 बिस्वा
		4/479		0.2909		
					कुल	8 बीघा

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविधि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के विन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

से।
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाएं अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1372

दिनांक 6/3/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री गोपाल चौधरी एवं करण चौधरी द्वारा भूखण्ड संख्या 57, 58, 59 योजना रॉयल एग्जोटिका का नाम हस्तान्तरण करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्डों के पट्टे श्री सूरजमल चौधरी पुत्र श्री लादूराम के नाम जारी किये गये थे। श्री सूरजमल चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उनके वारिसान द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर आवेदन किया गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 1276

दिनांक 7/7/22

विज्ञप्ति

श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा विधाधर नगर योजना के भूखण्ड संख्या 1/476 के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड इकरारनामा बाबत बिचौती प्लॉट, मृत्यु प्रमाण-पत्र, हक त्याग पत्र के आधार पर जारी करने हेतु ऑन लाईन पंजीयन संख्या 109135 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन जविप्रा द्वारा श्रीमती पुष्पा शर्मा को किया गया है। आवंटी द्वारा भूखण्ड का बेचान ओमप्रकाश शर्मा को किया गया है जिनकी मृत्यु दिनांक 10.06.2010 को हो चुकी है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड आवेदिका के पक्ष में किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नियमन की कार्यवाही आवेदिका के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति जोन कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर ब्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-२६४७

दिनांक: 6/7/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड की लीजडीड हेतु आवेदन किया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

क.सं.	नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम
1	रितु केडिया	L-62, L-70, L-43, L-78, L-72, L-33, L-34, L-36, L-37, L-38, L-44, L-42, L-43, L-39, L-40, L-41, L-128, L-158, L-156, L-157, L-155, L-154, L-153, L-133, L-134, L-130, L-132, L-129, L-124, L-125, L-126, L-127	111 वर्ग गज	श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. को योजना
2	निर्मल कुमार केडिया	L-35, 139,	111 वर्ग गज	'गणेश विहार विस्तार'
3	शिव कुमार केडिया	L-165, L-142, L-138, L-148, L-145, L-159, L-149, L-23, L-32, L-30, L-29, L-28, L-27, L-26, L-25, L-24,	111 वर्ग गज	
4	निर्मल कुमार केडिया	L-18	235 वर्ग गज	
5	मोनिका	L-109	166 वर्ग गज	
6	मोनिका	L-135	111 वर्ग गज	
7	मोनिका	L-123	111 वर्ग गज	
8	सरोज	L-86, L-94, L-98, L-166, L-103, L-81, L-135A,	111 वर्ग गज	
9	रितु केडिया	L-51, L-50	166 वर्ग गज	
10	सरोज	L-108	166 वर्ग गज	
11	मोनिका	L-119	111 वर्ग गज	
12	मोनिका	L-160	111 वर्ग गज	
13	निर्मल कुमार	L-12	209 वर्ग गज	
14	मोनिका	L-151	131 वर्ग गज	
15	नितिन केडिया	L-174	135 वर्ग गज	
16	निर्मल कुमार केडिया	L-6	115 वर्ग गज	
17	निर्मल कुमार केडिया	L-22	294 वर्ग गज	
18	निर्मल कुमार केडिया	L-1	163 वर्ग गज	
19	नितिन केडिया	L-152.	111 वर्ग गज	
20	नितिन केडिया	L-175	138 वर्ग गज	
21	नितिन केडिया	L-182	255 वर्ग गज	

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें: 8340 : फॅक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

22	नितिन केडिया	L-173	132 वर्ग गज
23	नितिन केडिया	L-177	144 वर्ग गज
24	नितिन केडिया	L-179	149 वर्ग गज
25	मोनिका	L-114, L-144, L-146, L-45, L-112, L-118, L-147, L-151, L-47, L-116, L-107, L-140, L-141, L-55, L-106, L-122, L-117, L-113, L-111, L-105, L-121, L-115, L-110, L-120, L-49, L-46, L-54, L-48, L-52, L-53, L-56, L-57,	111 वर्ग गज
26	सरोज	L-136	
27	निर्मल कुमार केडिया	L-2,	98 वर्ग गज
28	निर्मल कुमार केडिया	L-3	101 वर्ग गज
29	निर्मल कुमार केडिया	L-4	108 वर्ग गज
30	निर्मल कुमार केडिया	L-5	114 वर्ग गज
31	निर्मल कुमार केडिया	L-7	117 वर्ग गज
32	निर्मल कुमार केडिया	L-8	119 वर्ग गज
33	नितिन केडिया	L-9	156 वर्ग गज
34	नितिन केडिया	L-10	162 वर्ग गज
35	नितिन केडिया	L-13	218 वर्ग गज
36	नितिन केडिया	L-14	227 वर्ग गज
37	नितिन केडिया	L-15	235 वर्ग गज
38	नितिन केडिया	L-16	243 वर्ग गज
39	नितिन केडिया	L-17	253 वर्ग गज
40	नितिन केडिया	L-19	270 वर्ग गज
41	नितिन केडिया	L-20	278 वर्ग गज

217
उपायुक्त जॉन-14
उपायुक्त जॉन-14
ज.वि.प्रा., जयपुर
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने हेतु सूचनार्थ ।
- रक्षित ।

217
उपायुक्त जॉन-14
उपायुक्त जॉन-14
ज.वि.प्रा., जयपुर
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1857

दिनांक 05/7/22

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा निजी खातेदारी योजना "गोकुल रेजीडेन्सी" के निम्न भूखण्डधारी द्वारा फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री गौरी शंकर कानूनगो पुत्र श्री मोहन लाल	232	111.11

उपरोक्त भूखण्डों की मूल लीजडीड दिनांक 14.08.13 को श्री प्रीतम शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के पक्ष में जारी की गयी है, आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड को उप पंजीयक जयपुर-द्वितीय के यहाँ पंजीबद्ध करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड की मूल लीजडीड प्रार्थी से गुम हो गयी है। प्रार्थी द्वारा गुमशुदगी, शपथ पत्र इत्यादि के आधार पर फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः निजी खातेदारी की आवासीय योजना "गोकुल रेजीडेन्सी" के उक्त भूखण्डों की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
ज.वि.प्रा. जयपुर

1. प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. श्री गौरी शंकर कानूनगो पुत्र श्री मोहन लाल निवासी- 2-क-24, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसंदेशन: (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101943

13874

DATED- 06-7-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक पांची मीना पत्नी दीन दयाल मीना हिस्सा 1/2 नि. 4/एच/457, इन्दिरा गॉधी नगर, जगतपुरा, जयपुर एवं राम चन्द्र अग्रवाल पुत्र बट्टी नारायण अग्रवाल हिस्सा 1/2 जाति महाजन निवासी 9, 10, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थात:-

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	1. पांची मीना पत्नी दीन दयाल मीना हिस्सा 1/2 नि. 4/एच/457, इन्दिरा गॉधी नगर, जगतपुरा, जयपुर 2. राम चन्द्र अग्रवाल पुत्र बट्टी नारायण अग्रवाल हिस्सा 1/2 जाति महाजन निवासी 9, 10, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	2367	0.7200
	कुल	कुल किता 1	रकबा 0.7200 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 06-7-22 को जारी की गयी।

79
प्राधिकृत अधिकारी जेन-9
उपायुक्त जेन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

79
प्राधिकृत अधिकारी जेन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
जयपुर
जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 1948

दिनांक:- 6-7-2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	287	पटेल नगर (निजी खातेदारी)	श्री मुरलीधर कौरानी पुत्र स्व० श्री नारायण दास कौरानी	श्रीमती अल्का कौरानी पत्नी श्री मुरलीधर कौरानी	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 05.07.2022 के आधार पर

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....1730

दिनांक.....

06-7-2021

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना सत्य नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (बीघा/बिस्वा)	स्वामित्व
ग्राम निवारू तहसील जयपुर।	470	6 बीघा 1.2 बिस्वा	रामप्रकाश पुत्र बद्रीनारायण खण्डेलवाल हिस्सा 1/8 जाति खण्डेलवाल सा. बनी पार्क जयपुर खातेदार। सत्यनारायण पुत्र गणेशरामपरवाल हिस्सा 1/8 जाति खण्डेलवाल सा. बनीपार्क जयपुर खातेदार।
कुल किता	1	6 बीघा 1.2 बिस्वा	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक...06-7-2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक जविप्रा/उपा./जोन-12/22/डी- 1738
नंदा पुत्र रघुनाथ हिस्सा पूर्ण कौम बलाई
ग्राम हसमपुरा बास भांकरोटा,
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

दिनांक नंदा
06-7-2022

विषय:-भूमि के अधिकारो ओर हित के पर्यवसान की सूचना।

**प्रसंग:-भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मंगल विहार ग्राम हसमपुरा बास भांकरोटा,
तहसील सांगानेर के नियमन बाबत।**

अद्योहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नलिखित भूमि या उसके भाग का 17.06.1999

से पूर्व की कालावधि से गैर-कृषिक प्रयोजनो के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है:-


ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम हसमपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर।	76	0.3100	नंदा पुत्र रघुनाथ हिस्सा पूर्ण कौम बलाई सा. देह।
कुल किता	1	0.3100 हैक्टेयर	

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियो का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 क सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमो के उपबंधो के प्रावधानो के अन्तर्गत राज्य सरकार में सुओमोटो पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बताये की क्यों न उक्त में आपके अधिकारो ओर हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सकें।

अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के 7 दिवस में कमरा नम्बर पी.बी. टी.एफ.-312 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा आपके प्रकरण में तरफा कार्यवाही करके खातेदारी को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित कर लिया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन वर्ष 2022 के माह जुलाई के तारीख को जारी की जाती है।

06-7-2022

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- (174)


दिनांक 06-7-2022

:- सार्वजनिक सूचना :-

निजी खातेदारी की आवासीय योजना मंगलम औद्योगिक सिटी के भूखण्ड संख्या 20 क्षेत्रफल 916.66 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :-

कं. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	20	916.66	मंगलम औद्योगिक सिटी	श्रीमती सुमन खण्डेलवाल पत्नी श्री रामकिशन खण्डेलवाल	श्री मनीष खण्डेलवाल पुत्र श्री रामकिशन खण्डेलवाल, निवासी-24, विजयबाडी, ढेहर के बालाजी, सीकर रोड, जयपुर।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

PR-837
7-7-22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-1740

दिनांक 06-7-2022

-: सार्वजनिक सूचना :-

निजी खातेदारी की आवासीय योजना बालाजी सिटी-11 के भूखण्ड संख्या 82 क्षेत्रफल 230.75 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	82	230.75	बालाजी सिटी-11	श्री संजय कोठारी पुत्र श्री शान्ति चन्द कोठारी	श्रीमती अमिता चौहान पत्नी स्व. श्री प्रशान्त चौहान, श्री वैदेही सिंह चौहान व वृन्दा चौहान पुत्र/पुत्री स्व. श्री प्रशान्त चौहान

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

47.	श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री राकेश	बी-47	100
48.	श्रीमती आशा पत्नी श्री मुकेश	बी-48	95
49.	श्री प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री बिरदी चन्द	बी-51	100
50.	श्री प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री बिरदी चन्द	बी-52	100
51.	श्री प्रकाश कुमार अग्रवाल	बी-53	100
52.	श्री प्रकाश कुमार अग्रवाल	बी-54	100
53.	श्रीमती पार्वती पत्नी श्री प्रकाश चन्द	बी-68	124
54.	श्री तेजपाल शर्मा पुत्र श्री रोशन लाल शर्मा	बी-69	111.11
55.	श्रीमती रेखा पत्नी श्री रामनिवास	बी-70	111.11
56.	श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री दिनेश	बी-71	111.11
57.	श्री राकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-72	111.11
58.	श्री राकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-73	111.11
59.	श्रीमती बिमला पत्नी श्री गजानन्द	बी-74	111.11
60.	श्रीमती बिमला पत्नी श्री गजानन्द	बी-75	111.11
61.	श्री मुकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-76	188
62.	श्री मुकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-77	195
63.	श्री मुकेश	बी-78	115.5
64.	श्री प्रकाश चन्द	बी-81	115.5
65.	श्री प्रकाश चन्द	बी-82	115.5
66.	श्री प्रकाश चन्द	बी-83	115.5
67.	श्री प्रकाश पुत्र श्री सुन्दर मल	बी-84	115.5
68.	श्री प्रकाश पुत्र श्री सुन्दर मल	बी-85	122
69.	श्री राकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-86	157.76
70.	श्री राकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-87	172.47
71.	श्री राकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-88	103.33
72.	श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री राकेश	बी-89	103.33
73.	श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री राकेश	बी-90	103.33
74.	श्रीमती आशा	बी-91	103.33
75.	श्रीमती आशा पत्नी श्री मुकेश	बी-92	128.54

उक्त योजना रामेश्वर एनक्लेव एम ए का नियमन शिविर आयोजित किया जाना है।


अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची में संबंधित, अगर किसी खातेदार/हितधर्माधिकारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशन पश्चात् 7 दिवस में कार्यालय जोन-12 जयपुर में अपनी आपत्ति दर्शावेजो, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा स्थिति में उक्त खसरों में स्थित विकसित योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आंवटन/नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।



प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि :- 1. अति. आयुक्त (पूर्व) जयपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

2. जनसम्पर्क अधिकारी जयपुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्र एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें। कृपया कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञापित की राशि से अवगत क आंवटन की राशि के साथ यह राशि योजना के भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सके।



प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-1753

दिनांक : 07-7-2022

आम सूचना

अन्वेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रामेश्वर एनक्लेव एम ए का आवंटन/निधमन शिविर आयोजित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत योजना ग्राम मूण्डियारामसर तहसील जयपुर जिला जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के भाग पर योजना सृजित है :-

भाग का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. मे)	स्वामित्व
मूण्डियारामसर, तहसील जयपुर	93	0.6703	पार्वती देवी पत्नि प्रकाश चन्द हि. पूर्ण जाति महाजन नि. 160, रामेश्वर धाम, मुरलीपुरा, जयपुर
	93/419	0.6576 मे से 0.0506	
	93/420	0.3415	
	93/421	0.3667	
	कुल किता 4	कुल 1.4291 हेक्टे.	

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	मालिक का नाम	प्लॉट नं०	एरिया ब.ग.
1.	श्री प्रकाश पुत्र श्री सुन्दरमल	बी-1	95.33
2.	श्री सतीश अवरथी पुत्र श्री सुखपाल अवरथी	बी-2	111.11
3.	श्रीमती वीना अवरथी पत्नी श्री सतीश कुमार	बी-3	111.11
4.	श्री राकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-3-ए	115.4
5.	श्री मुकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-4	99.4
6.	श्रीमती एकता शर्मा पत्नी श्री परमार्थ शर्मा	बी-5	100
7.	श्री मुकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-6	114.75
8.	श्री किशन लाल स्वामी पुत्र श्री मोहन दास स्वामी	बी-7	100
9.	श्री राज कुमार सोनी पुत्र श्री जगदीश नारायण सोनी	बी-8	100
10.	श्री राजेश कुमार सोनी पुत्र श्री नारायण सोनी	बी-9	100
11.	श्रीमती पार्वती पत्नी श्री प्रकाश चन्द	बी-10	90
12.	श्रीमती पार्वती पत्नी श्री प्रकाश चन्द	बी-11	90
13.	श्रीमती रेहाना कुरेशी पत्नी श्री सहजामददी कुरेशी	बी-12	100
14.	श्रीमती रेहाना कुरेशी पत्नी श्री सहजामददी कुरेशी	बी-13	100
15.	श्री विजय कुमार मोदी पुत्र श्री प्रेम प्रकाश मोदी	बी-14	100
16.	श्रीमती शर्मिला पत्नी श्री राकेश	बी-15	114.75
17.	श्रीमती आशा पत्नी श्री मुकेश	बी-16	135.5
18.	श्री मिलन पाठक पुत्र श्री विजय पाठक	बी-17	100
19.	श्रीमती मधु पाठक पत्नी श्री विजय पाठक	बी-18	100
20.	श्री हरकनारायण गुप्ता पुत्र स्व० श्री हर सहाय गुप्ता	बी-19	100
21.	श्री हरकनारायण गुप्ता पुत्र स्व० श्री हर सहाय गुप्ता	बी-20	100
22.	श्री सरोज कुमार ठाकर पुत्र श्री बाबू लाल ठाकर	बी-21	100
23.	श्रीमती नीरू बारी पत्नी श्री सजय बारी	बी-22	100
24.	श्री पी.सी.केडिया	बी-23	110.15
25.	श्रीमती पार्वती केडिया	बी-25	100
26.	श्री निरजन सिंह बेनीवाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह बेनीवाल	बी-26	100
27.	श्री अंकित जैन पुत्र श्री उमेश कुमार जैन	बी-27	100
28.	श्रीमती वर्षा विजय पुत्री श्री मोहन लाल विजय	बी-28	100
29.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री मनोहर लाल शर्मा	बी-29	100
30.	श्री परमार्थ पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	बी-30	100
31.	श्रीमती निर्मला शर्मा पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	बी-31	100
32.	श्री मुकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-32	146.5
33.	श्री राकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द	बी-33	119.60
34.	श्री मनन पुत्र श्री मुकेश	बी-33-ए	100
35.	श्रीमती सुनीता जागिड पत्नी श्री महेश जागिड	बी-34	100
36.	श्री राजपाल सिंह शेखावत पुत्र श्री बन्ने सिंह शेखावत	बी-35	100
37.	श्री नमन पुत्र श्री राकेश	बी-37	100
38.	श्री मेघराज शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा	बी-38	100
39.	श्री नवल किशोर जागिड पुत्र श्री हरसहाय जागिड	बी-39	100
40.	श्री प्रकाश पुत्र श्री सुन्दरमल	बी-40	119.6
41.	श्री भंवर सिंह शेखावत पुत्र श्री हनुमान सिंह शेखावत	बी-41	131.5
42.	श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह	बी-42	100
43.	श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह	बी-43	100
44.	श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्री दिलीप सिंह	बी-44	100
45.	श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	बी-45	100
46.	श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र श्री पूरण चन्द शर्मा	बी-46	120

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स +91-141-2574555